न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सराणा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

वाद संख्या 128/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सिणगारी देवी पत्नी जगाराम उर्फ जगमालराम चौधरी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा
2. किशनाराम पुत्र जगाराम उर्फ जगमालराम चौधरी निवासी सराणा तहसील पचपदरा		

दावा बाबत् घोषणा व तरमीम अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम व 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. वादी मय वकील
2. राज. पैरोकार

निर्णय

दिनांक – 27.06.2018

वादी के वाद के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा ग्राम सराणा के खेत खसरा नं 1171/664 रकबा 06.09 बीघा व 1172/664 रकबा 15 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 21.09 बीघा बारानी अव्वल की भूमि खातेदार जगाराम पुत्र हेमाराम जाति चौधरी के नाम से आयी हुई है वादपत्र के साथ परिशिष्ट "अ" पेश किया है जिसे दावा के साथ पढा जावे। वादीगण जगाराम के वंशज है। वादी संख्या 01 जगाराम की पत्नी व वादी संख्या 02 जगाराम का एकमात्र पुत्र है। वादी संख्या 01 के पति को ग्राम व समाज में जगाराम उर्फ जगमालराम के नाम से भी जाना जाता था, दोनो ही नाम जगाराम के ही है, वादी संख्या 01 का पति जगाराम उर्फ जगमालराम का मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं होने से करीब 25 वर्ष पूर्व अपने घर बेरा गुन्दरीया से बिना किसी को बताये अपने पुत्र व पत्नी को छोड़कर घर से चले गये, उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी, घर से जाने के बाद से आज तक

लगातार पेज 2 पर

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner

खोज की गयी मगर आज रोज तक उनके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं मिली, वादीगण द्वारा आम सूचना दिनांक 12.08.2017 को प्रकाशित करवायी, दैनिक पत्रिका में भी गुमशुदगी, इश्तिहार दिनांक 13.08.2017 को दिया गया, पोर्टल पर ऑनलाईन एफआईआर भी दर्ज करवायी गयी जिसके नम्बर 46764/2017 दिनांक 12.08.2017 है। मगर उनके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं मिली, भूमि उनके नाम से होने से भूमि सम्बन्धित सारी सरकारी सुख सुविधाओं से हम वादीगण वंछित है। मुल खसरा 664 में से अलग बटटा (हिस्सा) खोलकर जगाराम को आवंटित कर दी मगर मूल नक्शे में तरमीम नही की गयी।

वादीगण के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादी के निम्न प्रकार डिक्री सादिर फरमायी जावे। मौजा गांव साराणा के खेत खसरा नं 1171/664 रकबा 06.09. बीघा व खसरा नं 1172/664 रकबा 15.00 बीघा बारानी अव्वल भूमि जो जगाराम उर्फ जगमालराम के नाम से आयी हुई है। भा.सा. अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यह उपधारणा की जाकर कि वे जीवित नहीं है तथा वादीगण उनके वंशज होने से खातेदार घोषित किया जावे।

वाद के पद संख्या 01 में वर्णित पाड़ोस की भूमि जो खसरा नम्बर 1171/664 व 1172/664 जो मूल खसरा संख्या 664 से अलग बटटा (हिस्सा) बनाकर आवंटित की गयी है जिसको मूल नक्शे में माफिक परिशिष्ट "अ" व पद संख्या 1 के पाड़ोस में दर्शायी हुई भूमि तरमीम की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया , प्रतिवादी का नोटिस बाद तामिल लौटा , प्रतिवादी ने कोई जवाब पेश नहीं किया तथा न हीं कोई एतराज पेश किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में वादी किशनाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये, वादी ने वादपत्र के समर्थन में खतौनी ई.एक्स.1, नक्शा ट्रेस ई.एक्स.2 तथा पिताजी गुमशुदा हुए उसकी गुमशुदगी की सूचना, दैनिक समाचार की प्रति ई.एक्स 3, आम सूचना ई.एक्स 4 तथा एफआईआर की प्रति ई.एक्स 5 पेश की हैं। पिता के लापता होने के बाद से आज रोज तक उक्त भूमि पर मेरा व मेरी माता का कब्जा काश्त है , मेरे पिता के हम दो ही वारिस है, हमारे अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है, खातेदारी हमारे नाम दर्ज नहीं होने से हम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते है। उक्त भूमि हमारे नाम की जावे।

बयान गवाह सूराराम ने अपने बयानों में वादपत्र का समर्थन किया। जगाराम 25 वर्ष से लापता है, जगाराम मेरे काका का बेटा, भाई लगने से जानता हुँ, जगाराम उर्फ जगमालराम के वारिस उनकी पत्नी सिणगारीदेवी व बेटा किशनाराम ही है जगाराम उर्फ जगमालराम की भूमि के मालिक किशनाराम व सिणगारी देवी है, व उनकी ही कब्जा काश्त है।

लगातार पेज 3 पर

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner

गवाह रेखाराम सरपंच ग्राम पंचायत सराणा ने अपने बयानों में जाहिर किया कि मैं स्थाई रूप से ग्राम सराणा का निवासी हूँ, तथा मैं वादीगण को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मैंने वादीगण के हक पूर्वाधिकारी जगाराम उर्फ जगमाल को विगत 25 वर्षों से नहीं देखा है तथा न ही उनके बारे में किसी प्रकार से सुना, उनकी खातेदारी भूमि पर वादीगण , जो उनके वारिस है काबिज होकर काश्त करते है।

हमने दोनो पक्षों को सुना, तथा कैम्प कोर्ट में मजमेआम में पूछताछ की गयी, तथा इस सम्बन्ध में चर्चा की गयी, मजमेआम में उपस्थित ग्राम वासीयों ने जगाराम उर्फ जगमाल गत 25 वर्षों से लापता होना बताया तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना जाहिर किया व जगाराम के वारिस वादीगण को होना बताया, इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना बताया।

वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजो, बयान गवाहन का अवलोकन कर ध्यान पूर्वक मनन किया गया, वादी वाद न्यायसंगत होने से स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा सराणा के खेत खसरा नं 1171/664 रकबा 06.09 बीघा व 1172/664 रकबा 15.00 बीघा कुल 21.09 बीघा भूमि बारानी अव्वल जो जगाराम उर्फ जगमालराम के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, तथा वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा संख्या 664 से अलग बटटा/हिस्सा बनाकर आवंटित की गयी , जिसको मूल नक्शे में माफिक परिशिष्ट "अ" के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाते है। परिशिष्ट "अ" निर्णय का भाग रहेगा। डिगरी पर्चा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प सराणा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी, लोक (न्याय आपके द्वार) कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner